निवेश को एनओसी अब जल्द

तैयारी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश सरकार निवेशकों की सुविधा और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से निवेश मित्र पोर्टल को और आधुनिक बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश की नोडल संस्था इन्वेस्ट यूपी 'निवेश मित्र 3.0' पर गंभीरता से काम कर रही है। निवेश मित्र का यह नया संस्करण न सिर्फ प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि मंजूरी के समय, दस्तावेजों की आवश्यकता और विभागीय जटिलताओं में भी भारी कटौती करेगा।

विभिन्न सेवाओं में लगने वाले समय घटेगा: इस योजना के तहत विभिन्न विभागों में दी जाने वाली सेवाओं की समय-सीमा में 30 से 50 प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य है। उदाहरण के लिए, राजस्व विभाग में पहले किसी कार्य के लिए 45 दिन लगते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 21 से 30 दिन, श्रम विभाग में पहले 30 दिन लगते थे, अब यह सिर्फ 5 दिन, पर्यावरण मंजूरी के लिए जहां पहले 120 दिन लगते थे, अब सिर्फ 21 दिन, अग्निशमन विभाग की मंजूरी को 15 दिन के बजाय 5 दिन और बिजली विभाग में जो कार्य 66 दिन में होते थे, उसे 40 दिन में पूरे करने का प्रयास किया जा रहा है। अब विभिन्न विभागों में लगने वाले दस्तावेजों की संख्या को भी कम किया जा रहा है।

निवेश मित्र 3.0 से ये होंगे फायदे

- यूपी में 'निवेश मित्र 3.0' से और आसान होगा औद्योगिक निवेश
- प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए योगी सरकार का एक और डिजिटल कदम
- निवेश मित्र के नए संस्करण के माध्यम से प्रक्रिया को बनाया जाएगा और अधिक सरल और त्वरित
- अप्रूवल्स के समय, दस्तावेजों की आवश्यकता और विभागीय जटिलताओं में भारी कटौती के हो रहे प्रयास
- प्रस्तावित प्राविधानों के माध्यम से विभिन्न कार्यों और मंजूरी में लगने वाले समय को 30 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य
- किसी अप्रूवल या आवेदन के लिए की जाने वाली प्रक्रिया में भी 50 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित
- निवेश मित्र 3.0 के जरिए योगी सरकार डॉक्युमेंट्स की आवश्यकता में 30-50 प्रतिशत तक कमी लाने का कर रही प्रयास

उद्योग लगाने के लिए जल्द मिलेंगे अनापत्ति प्रमाणपत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: अब राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए विभागों की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने की समय सीमा में कमी लाने का इरादा है। इस संदर्भ में इन्वेस्ट यूपी ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में विभिन्न सरकारी विभागों से उद्योगों को जारी होने वाले एनओसी की समय सीमा कम किए जाने का सुझाव दिया गया है। इसके अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 120 दिन की बजाय 21 दिन में उद्योगों को एनओसी जारी करने की सिफारिश की गई है।

इन्वेस्ट यूपी ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली को और प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से सुझाव लेकर इन्वेस्ट यूपी ने प्रक्रियागत सुधार की पहल शुरू कर दी है। प्रदेश में ईज आफ डूइंग बिजनेस (कारोबार में सुगमता) को बढ़ावा देने के लिए निवेश मित्र पोर्टल 3.0 तैयार किया जा रहा है। इसके तैयार होने के बाद सरकारी विभागों से उद्योग संबंधी हर प्रकार के एनओसी इसी के माध्यम से जारी किए जाएंगे। अभी राजस्व विभाग द्वारा एनओसी जारी करने के लिए 45 दिन निर्धारित थे, इसे 30 दिन किया जाएगा। श्रम विभाग से एनओसी के लिए पहले 30 दिन लगते थे, यह पांच दिन होगा। अग्निशमन विभाग से एनओसी के लिए 15 के बजाय पांच दिन व बिजली विभाग को 66 के बजाय 40 दिन में एनओसी जारी करना होगा।

उद्योगों की स्थापना के लिए लगने वाले दस्तावेजों की संख्या भी कम की जा रही है। राजस्व विभाग मे पांच की जगह दो, श्रम विभाग को 14 की जगह चार, पर्यावरण विभाग को 13 की बजाय छह, अग्निशमन विभाग को 10 की जगह दो, बिजली विभाग को सिर्फ चार दस्तावेज लेकर उद्योगों को मंजूरी देनी होगी।